RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 2564/2013

State of Rajasthan

----Petitioner

Versus

Dr. Smt. Sudha Sharma W/o Dr. DC Sharma, the Owner Sarjan Hospital 111, Anand Nagar, Ayad Puliya, Udaipur (Raj.).

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Sharwan Bishnoi, PP
For Respondent(s)	:	Mr. Sanjeet Purohit

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Order Reserved on 09/07/2024

Date of Pronouncement 16/07/2024

Reportable

01. राजस्थान राज्य की ओर से यह याचिका विद्वान निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर के आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.01.2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्थान सरकार जरिये डॉ. श्री आर.एन. बैरवा, समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) उपखण्ड गिर्वा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से डॉ. सुधा शर्मा संचालक, सर्जन हॉस्पीटल 111, आनन्द नगर आयड पुलिया, उदयपुर के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 23 गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग निर्धारण वर्जन) अधिनियम, 1994 एवं धारा 23 गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियम, 1996 के नियम 17 (1), (2) के तहत दिनांक 11.01.2012 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 16.04.2012 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अयाची को तलब किया गया।

03. तत्पश्चात् यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर के आदेश क्रमांक 158 दिनांक 12.06.2012 की पालना में अंतरित होकर विद्वान विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण) उदयपुर, राज. को प्राप्त हुआ। अयाची के उपस्थित आने पर प्री चार्ज साक्ष्य में दो गवाहान के बयान करवाकर बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 30.07.2012 को विद्वान विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:18 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण) उदयपुर, राज. द्वारा अयाची को पीसीपीएनडीटी के नियम 17(2) एवं 18(8) का उल्लंघन करने से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसुति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के तहत आरोप सुनाये जाने का आदेश दिया गया और आरोप सुनाया गया, जिससे व्यथित होकर अयाची की ओर से निगरानी की गई, जिसमें निगरानी न्यायालय विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर द्वारा निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या 13/2012 में निर्णय दिनांक 14.01.2013 को पारित करते हुये निगरानी स्वीकार की गई और विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण) उदयपुर, राज. का आदेश दिनांक 30.07.2012 को अपास्त किया गया और अयाची को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्थान राज्य की ओर से यह याचिका पेश की गई है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

04. याची की ओर से याचिका में यह निवेदन किया गया कि इस मामले में CM & HO, उदयपुर द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें अयाची के नाम व पद के संबध में पट्टीका लगी हुई नहीं थी, जो नियम 17(2) व 18(8) नियम 1996 का उल्लंघन था, जो धारा 23 पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दंड योग्य था। निरीक्षण के समय पीसीपीएनडीटी एक्ट की कॉपी सेंटर पर नहीं थी। ऐसी अवस्था में परिवाद समुचित प्राधिकारी द्वारा पेश किया गया है, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया। इस आधार पर याचिका स्वीकार कर विद्वान निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर के निर्णय दिनांक 14.01.2013 को निरस्त किये जाने और विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण) उदयपुर, राज. के आदेश दिनांक 30.07.2012 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की गई।

05. बहस याचिका सुनी गई।

06. योग्य लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में निगरानी न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है, जिस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है, उनकी ओर से ही इस मामले में परिवाद पेश किया गया है, जो समुचित प्राधिकारी की श्रेणी में आता है और केवल मात्र इस आधार पर कि निरीक्षण के समय दो गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है, समस्त प्रकरण को झूठा नहीं माना जा सकता और अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में निगरानी न्यायालय का निर्णय निरस्त करने और विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गई।

07. योग्य अधिवक्ता अयाची की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में परिवाद दिनांक 11.01.2012 को पेश किया गया, उस रोज़ मुख्य चिकित्सा

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:18 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर समुचित प्राधिकारी नहीं था, बल्कि राज्य–सरकार के दिनांक 05.01.2012 की अधिसूचना के मुताबिक जिला स्तर पर सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिये जिला कलक्टर व सम्पूर्ण राजस्व उपखण्ड के लिये उपखण्ड अधिकारी समुचित प्राधिकारी था। ऐसी अवस्था में इस्तगासा समुचित प्राधिकारी द्वारा पेश नहीं करने से धारा 28 के तहत प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता था और निरीक्षण रिपोर्ट दिनांकित 30.09.2009 के मुताबिक नियम 12 के अनुसार दो गवाहान के हस्ताक्षर नहीं होने से निरीक्षण रिपोर्ट विधिसम्मत नहीं है। ऐसी अवस्था में निगरानी न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाकर याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

08. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

09. इस मामले में विधिक स्थिति पर विचार किया जा रहा है। पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 की धारा 2ए में "Appropriate Authority" यानि समुचित प्राधिकारी के बारे में बताया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 17 के मुताबिक नियुक्त होने वाला व्यक्ति समुचित प्राधिकारी होगा। धारा 17(1) के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक या अधिक व्यक्ति को समुचित प्राधिकारी बनाने बाबत् अधिसूचना जारी कर अधिकृत करने का प्रावधान किया गया है और धारा 17(2) में राज्य–सरकार द्वारा अधिसूचना ऑफिशियल गजट में जारी कर एक या अधिक समुचित प्राधिकारी इस मामले में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

10. पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 28 में अपराधों के प्रसंज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> Section 28 :-
> 28. Cognizance of offences. (1) No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by--
> (a) the Appropriate Authority concerned, or any officer authorised in this behalf by the Central Government or State Government, as the case may be, or the Appropriate Authority; or
> (b) a person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, to the Appropriate Authority, of the alleged offence and of his intention to make a complaint to the court. Explanation.--For the purpose of this clause, "person" includes a social organisation.
> (2) No court other than that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.
> (3) Where a complaint has been made under clause (b) of subsection (1), the court may, on demand by such person, direct the Appropriate Authority to make available copies of the relevant records in its possession to such person.

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:18 PM)

11. पीसीपीएनडीटी एक्ट नियम, 1996 में नियम 12 निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

12.Procedure for search and seizure :-

(1) The Appropriate Authority or any officer authorized in this behalf may enter and search at all reasonable times any Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Imaging Centre or Ultrasound Clinic in the presence of two or more independent witnesses for the purposes of search and examination of any record, register, document, book, pamphlet, advertisement, or any other material object found therein and seal and seize the same if there is reason to believe that it may furnish evidence of commission of an offence punishable under the Act.

(2) A list of any document, record, register, book, pamphlet, advertisement or any other material object found in the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound Clinic or Imaging Centre and seized shall be prepared in duplicate at the place of effecting the seizure. Both copies of such list shall be signed on every page by the Appropriate Authority or the officer authorized in this behalf and by the witnesses to the seizure:
Provided that the list may be prepared, in the presence of the witnesses, at a place other than the place of seizure if, for reasons to be recorded in writing, it is not practicable to make the list at the place of effecting the seizure.

12. पूर्व में वर्णित विधिक प्रावधान के अनुसार सर्च एवं सीजर के समय दो गवाहान का होना आवश्यक है तथा परिवाद समुचित प्राधिकारी द्वारा पेश करने पर ही प्रसंज्ञान धारा 28 के मुताबिक लिया जा सकता है। उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुये हस्तगत मामले पर विचार किया गया।

13. हस्तगत मामले में जो निरीक्षण रिपोर्ट विद्वान विचारण न्यायालय में प्रदर्श पी–1 के रुप में प्रदर्शित करवाई गई है, उसमें दिनांक 30.09.2009 के निरीक्षण के समय केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर व डॉ सुधा शर्मा अयाची के ही हस्ताक्षर है। दो गवाहान के हस्ताक्षर इस पर नहीं है और गवाह पी.डब्ल्यू.01 डॉ. रमेश चन्द्र आहारी द्वारा प्री चार्ज साक्ष्य में अयाची की ओर से की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके बारे में यह अंकित किया गया है कि दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से साक्ष्य नहीं करवाई गई। ऐसी अवस्था में इस मामले में नियम 12 के मुताबिक दो गवाहान के समक्ष निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की गई है। इस आधार पर ही निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है।

14. इस मामले में इस्तगासा प्रदर्श पी–2 दिनांक 11.01.2012 को पेश किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान दिनांक 16.04.2012 को लिया गया। इस्तगासा के साथ प्रदर्श पी–3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग अधिसूचना जयपुर, अगस्त 10, 2009 जो धारा 17(2) के तहत जारी अधिसूचना है, उसकी प्रति पेश की गई है, जिसमें समस्त

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:18 PM)

जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्व जिला के लिये व उपखण्ड के लिये उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

15. उपरोक्त के पश्चात् दिनांक 05.01.2012 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–3 विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर पूर्व के अधिसूचना दिनांक 10.08.2009 को अधिक्रमित करते हुये जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारी नये नियुक्त किये, जिसके मुताबिक सम्पूर्ण राजस्व जिला के लिये जिला कलक्टर एवं सम्पूर्ण राजस्व उपखण्ड के लिये उपखण्ड अधिकारी समुचित प्राधिकारी नियुक्त किये गये। ऐसी अवस्था में हस्तगत मामले में प्रदर्श पी–2 इस्तगासा दिनांक 05.01.2012 को नई अधिसूचना पारित होने के पश्चात् डॉ. आर.एन. बैरवा CM & HO द्वारा परिवाद पेश किया गया, जो दिनांक 11.01.2012 को समुचित प्राधिकारी नहीं रहा। ऐसी अवस्था में इस मामले में इस्तगासा पूर्व के समुचित प्राधिकारी जिसे कि नई अधिसूचना दिनांक 05.01.2012 को लागू होने के पश्चात् पूर्व अधिसूचना निरस्त होने से समुचित प्राधिकारी के अधिकार समाप्त कर दिये गये, उस व्यक्ति द्वारा इस्तगासा पेश किया गया है, जो धारा 28 पीसीपीएनडीटी एक्ट के मुताबिक उस समय समुचित प्राधिकारी नहीं होने से उनकी ओर से पेश इस्तगासा में प्रसंज्ञान लेकर विचारण किया जाना विधिसम्मत नहीं था। ऐसी अवस्था में इस मामले में समुचित प्राधिकारी द्वारा इस्तगासा पेश नहीं करने के कारण अभियुक्त–अयाची डिस्चार्ज किये जाने योग्य था व है।

16. ऐसी अवस्था में विद्वान निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.01.2013 में विधिक प्रावधानों पर विचार कर जो आदेश पारित किया गया, वह आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में याची की याचिका खारिज किये जाने तथा विद्वान निगरानी न्यायालय का निर्णय पुष्टि किये जाने योग्य है।

17. अतः याची राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज की जाती है तथा विद्वान निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, उदयपुर के आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.01.2013 की पुष्टि की जाती है।

18. आदेश की एक प्रति सहित विद्वान निगरानी न्यायालय व विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

6-GouravG/-

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:18 PM)